रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 1975/माघ 12, 1896
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 1975/MAGHA 12, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January 1975

G.S.R. 41(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2A) of section 217, read with clause (a) of sub-section (1) of section 642, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date on which the Companies (Amendment) Act, 1974 (41 of 1974), comes into force.

2. **Particulars of employees.**—The statement to be included in the Board's report under sub-section (2A) of section 217 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall also contain the following particulars, namely:—

(a) Designation of the employee.

(b) Remuneration received.

(c) Nature of employment, whether contractual or otherwise

(d) Other terms and conditions.

(e) Nature of duties of the employee.

(f) Qualifications and Experience of the employee.

(g) Date of commencement of employment.

[No. F. 5/7/74-CL.V]
P. B. MENON, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1975

सा० का० नि० 41(अ).—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 217 की उपधारा (2क) के खंड (ख) के उपखंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम कम्पनी (कर्मचारियों की विशिष्टियां) नियम, 1975 है ।

(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जबकि कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 41) प्रवृत्त होगा ।

2. **कर्मचारियों के विवरण.**—कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 217 की उपधारा (2क) के अधीन दी जाने वाली बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित कथन में निम्नलिखित विशिष्टियां भी अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात्:—

(क) कर्मचारी का पदनाम ।

(ख) प्राप्त पारिश्रमिक ।

(ग) नियोजन की प्रवृत्ति, वह सांविदिक है या अन्यथा ।

(घ) अन्य निबंधन और शर्तें ।

(ङ) कर्मचारी की कर्त्तव्यों की प्रकृति ।

(च) कर्मचारी की अर्हताएं और अनुभव ।

(छ) नियोजन के प्रारम्भ की तारीख ।

[सं० फा० 5/7/74-सी० एल० V]

पी० बी० मैनन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975